न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- संजना जोशी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 357/2021

1 निशानसिंह उम्र 15 वर्ष
2 सर्वजीतकौर उम्र 14 वर्ष
3 हरमन उम्र 12 वर्ष

} पुत्र/पुत्रीया दर्शन सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता करमजीत कौर पत्नी दर्शन सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान -- वादीगण

-:: बनाम ::-

1 दर्शन सिंह पुत्र जरनेल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अयालकी जरिये शाखा प्रबन्धक
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा । -- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री नविन जैन अधिवक्ता — वादी
2. श्री संजीव आहुजा अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 2
3. राज पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 3

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 7-8-23

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या के विरूद्ध यह वाद दिनांक 18.05.2021 को अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सयुक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 59/114 के पत्थर नम्बर 50/278 (12) किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 23 की 5.060 हैक्टर नहरी खातेदारी में 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। जो प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता जरनैल सिंह पुत्र रणसिंह से विरास्तन में प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के हकदार है। इसलिये वादीगण अपने 3/4 हिस्सा की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

वाद पत्र की दफा 3 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि जिसमें वादीगण का भी हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि शराबी कबाबी किस्म का व्यक्ति है व अपने नाम दर्ज पैतृक कृषि भूमि को किसी अजनबी व्यक्तियो को रहन बैय करने की फिराक में है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करता है तो वादीगण का हक व हिस्सा खत्म हो जायेगा। वादीगण के पास इस कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई कृषि भूमि नही है न ही कृषि के अलावा अन्य कोई आय का साधन है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वादीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी व ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। वादीगण को किसी प्रकार से उसके हक से महरूम नही किया जा सके इन अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थितियो के दृष्टिगत वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आश्य का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

लगातार 2

वादीगण में प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे वादीगण के हक हिस्सा की कृषि भूमि का वादीगण को खातेदार मानते हुए राजस्व रिकार्ड में अकंन करवा देवे व अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे तो वे कुछ दिन तो टाल मटौल करते रहे परन्तु अब वह 5 रोज पूर्व ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गये बस यही वाद कारण है

प्रतिवादी संख्या 2 जो कि बैंक है उसके यहां भूमि रहन है व प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ वादीगण को कोई प्रत्यक्ष अनुतोष हासिल नही है परन्तु वह भू धारक है इसलिये दावा में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 59/114 के पत्थर नम्बर 50/278 (12) किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 23 की 5.060 हैक्टर नहरी खातेदारी में 1/4 हिस्सा में वादीगण 3/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

(ख) शाश्वत व्यादेश विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर का जारी किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो अदालत हाजा उचित समझे दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया बाद तलबी प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित नहीं आनें पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 08.04.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा जबाब प्रस्तुत न करते हुए बैक के हितों को सुरक्षित रखते हुए निर्णय पारित किये जानें का निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की और से पैरोकार राज द्वारा वाद पत्र का मदवार जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की और से पैरोकार राज द्वारा वाद पत्र का मदवार जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होनें के कारण तनकीयात बनना नहीं पाये जानें से वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनें वाद पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। जो प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता जरनैल सिंह पुत्र रणसिंह से विरास्तन में प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के हकदार है। इसलिये वादीगण अपने 3/4 हिस्सा की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है। मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जावे।

लगातार 3

इसके वादी की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एन.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 59/114 के पत्थर नम्बर 50/278 (12) किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 23 की 5.060 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या दर्शन सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान की पैतृक सम्पति होनें के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

::|| आदेश ||::

वादी विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी का वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के नाम चक 2 एन.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 59/114 के पत्थर नम्बर 50/278 (12) किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 23 की 5.060 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा (1.265 हैक्टर) की भूमि में वर्तमान प्रविष्ठि को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 ता 3 क्रमशः निशानसिंह, सर्वजीतकौर, हरमन पुत्र/पुत्रीया दर्शन सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ तथा प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक को 0.316 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड़ पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 7-8-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sanjana 7/8/23

(संजना जोशी)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक [illegible]

पीलीबंगा